

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ

39/17

प्रकरण संख्या 47/2019

उनवान

देवी कालेडी


बनाम

श्री. गोपाल सिंह

गंगा/श्री. चन्द्र शर्मा

वर्ग 22/1

प्रा0पत्र/राजस्व वाद

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>4.7.19 वाद जाँच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणों को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 06.08.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ </p>	
06.08.19	<p>पत्रावली पेश हुयी अधिकारी..... पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में लग्न/ अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश में दिनांक.....को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">13.08.19</p>	
<p>13.08.19 अधिकारी पत्र नहीं आया N.T.</p>	<p style="text-align: center;">आदेश से रीडर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वाद अतिरिक्त उपाधित। अपूर्ण गण सं. 1, 2, 3 सावधान सूचना के अनुपाधित। अपूर्ण गण अनुपाधित करने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लगे जाती है। प्राथमिक अपनी गृह हमीरगढ में स्थित है। अगुवानी की प्रत्यक्ष करवाए जास्ता है जो उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में प्राथमिक द्वारा प्रस्ता सूचना पत्र के अतिरिक्त अराजीयात</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

श्री पर्यवगती के मोहोश दिया
जाला ही निर्णय सुचक से
आबु बामिले परावली दिया
जाब हकबल हायर मन्टर में
कुम दिया आवे।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़